अध्याय-3

सहकारी सोसाइटियों के सदस्य और उनके अधिकार तथा दायित्व

Chapter-III

Member of Co-operative Societies and their rights and liabilities

15. सदस्यता— (1) निम्नलिखित को किसी सहकारी सोसाइटी के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जा सकेगा, अर्थात् :-

(क) भारत का कोई भी नागरिक जो,-

(i) 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है;

(ii) स्वस्थचित्त का है;

(iii) तत्समय प्रवृत्त और उस पर लागू किसी विधि द्वारा संविदा करने से निरर्हित नहीं है;

(iv) सोसाइटी की सेवाओं का उपयोग करने का इच्छुक है; और

(v) ऐसी सदस्यता से संबद्ध उत्तरदायित्वों और दायित्वों को स्वीकार करने के लिए तैयार है;

(ख) कोई भी अन्य सहकारी सोसाइटी;

(ग) राज्य सरकार; या

(घ) ऐसा कोई भी अन्य व्यष्टि, निकाय या स्थानीय प्राधिकारी, जो विहित किया जाये:

परन्तु कोई व्यष्टि भूमि विकास बैंक से भिन्न किसी वित्तीय बैंक या किसी ऐसे वर्ग की सहकारी सोसाइटी की सदस्यता का पात्र नहीं होगा जो इस निमित्त विहित किया जाये:

परन्तु यह और कि किसी विद्यालय या महाविद्यालय के छात्रों के फायदे के लिए अनन्य रूप से बनाई गई किसी सोसाइटी में आयु संबंधी शर्त लागू नहीं होगी:-

परन्तु यह भी कि ऐसी किसी सोसाइटी की, जो महिलाओं के फायदे के लिए अनन्य रूप से बनायी गयी हो, उपविधियां पुरुष व्यष्टियों की सदस्यता को निर्बंधित कर सकेंगी।

(2) किसी सहकारी सोसाइटी के सदस्य रूप में सम्मिलित होने के लिए आवेदन उस सहकारी सोसाइटी की समिति को किया जा सकेगा। ऐसी समिति आवेदन प्राप्ति से तीस दिन की कालावधि के भीतर-भीतर आवेदन पर विनिश्चय करेगी और अपने विनिश्चय से आवेदक को संसूचित करेगी और जहां आवेदन नामंजूर कर दिया जाये वहां उक्त कालावधि के भीतर-भीतर ऐसी नामंजूरी के कारणों से आवेदक को संसूचित करना भी समिति के लिए आवश्यक होगा।

(3) यदि समिति-

(i) सदस्य के रूप में सम्मिलित होने के आवेदन को नामंजूर करती है तो ऐसी नामंजूरी के विरुद्ध अपील रजिस्ट्रार को हो सकेगी जो उस सोसाइटी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् इस अधिनियम और नियमों तथा उपविधियों के उपबंधों के अनुसार आवेदन पर विनिश्चय करेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम तथा उस सोसाइटी पर आबद्धकर होगा;

(ii) उप-धारा (2) के अधीन अपना विनिश्चय या नामंजूरी के कारण उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर-भीतर संसूचित करने में विफल रहती है तो आवेदक ऐसे समय की समाप्ति से साठ दिन की कालावधि के भीतर-भीतर अपने आवेदन पर विनिश्चय के लिए रजिस्ट्रार को समावेदन कर सकेगा, जिसका निपटारा उसी रीति से किया जायेगा मानो वह खण्ड (i) के अधीन कोई अपील है।

15. Membership.— (1) The following may be admitted as members of a co-operative society, namely :-

(a) Any citizen of India, who —

(i) has attained age of 18 years;

(ii) is of sound mind;

(iii) is not disqualified from contracting by any law for the time being in force and applicable to him;

(iv) is desirous to utilize the services of the society; and

(v) is ready to accept the responsibilities and liability associated with such membership;

(b) any other co-operative society;

(c) the State Government; or

(d) any other person, body or local authority, as may be prescribed :

provided that an individual shall not be eligible to the membership of a financing bank other than a Land Development Bank or such class of co-operative society as may be prescribed in this behalf :

Provided further that in a society exclusively formed for the benefit of students of a school or a college, the condition regarding the age shall not apply :

Provided also that the bye-laws of a society, which is exclusively formed for the benefit of women, may restrict the membership of male individuals.

(2) An application for admission as a member of a co-operative society shall lie to the committee of that co-operative society. Such committee shall decide the application and communicate its decision to the applicant within a period of thirty days from the receipt of the application, and where the application is refused, it shall also be necessary for the committee to communicate to the applicant, the reasons for such refusal, within the said period.

(3) If the committee —

(i) refuses the application for admission as a member, an appeal shall lie against such refusal to the Registrar, who may after giving the society a reasonable opportunity of being heard, decide the application in accordance with the provisions of this Act and the rules and bye-laws and his decision shall be final and binding on the society;

(ii) fails to communicate its decision or the reasons of refusal under sub-section (2), within the time specified therein, the applicant may, within a period of sixty days from the expiration of such time, move the Registrar for the decision on his application, which shall be disposed of in the same manner, as if it is an appeal under clause (i).

16. सदस्यता की समाप्ति— (1) कोई व्यक्ति, सोसाइटी की सदस्यता से अपना त्यागपत्र देने पर उसकी स्वीकृति पर या उसकी मृत्यु पर, सदस्यता से हटाये जाने या निष्कासन पर या इस अधिनियम,

नियमों या सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट किन्हीं निरर्हताओं से ग्रस्त होने पर, उसका सदस्य नहीं रहेगा। सदस्यता की ऐसी समाप्ति पर सोसाइटी, सोसाइटी की शेयर पूँजी में ऐसे सदस्य का शेयर या हित, उसके लिए ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, अवधारित मूल्य का संदाय करके अर्जित कर सकेगी।

(2) ऐसा कोई सदस्य, जिसका कारबार सोसाइटी के कारबार के विरुद्ध या प्रतिस्पर्धा में है या जो साधारण निकाय की बैठक में लगातार तीन वर्ष तक किसी भी युक्तियुक्त कारण के बिना उपस्थित नहीं हुआ है या जो अपने देयों का संदाय करने में बारबार व्यतिक्रम कर रहा है या जो सोसाइटी की सेवाओं का न्यूनतम आवश्यक उपयोग करने के संबंध में या सोसाइटी के साथ अन्य व्यवहार करने के संबंध में उपविधियों के उपबंधों, यदि कोई हों, का पालन करने में विफल रहा है या जिसने, समिति की राय में, सोसाइटी को बदनाम किया है या ऐसा कोई अन्य कार्य किया है जो सोसाइटी के हित या समुचित कार्यकरण के लिए अहितकर है तो, उस प्रयोजन के लिए बुलाये गये साधारण निकाय के समक्ष उसे अपना मामला अभ्यावेदित करने का अवसर देने के पश्चात् ऐसे साधारण निकाय की बैठक में विहित रीति से पारित विशेष संकल्प द्वारा, सदस्यता से हटाया या निष्कासित किया जा सकेगा।

16. Cessation of membership.— (1) A person shall cease to be a member of a society on his resignation from the membership thereof being accepted or on his death, removal or expulsion from membership or on his incurring any of the disqualifications specified in this Act, the rules or the bye-laws of the society. On such cessation of membership the society may acquire the share or interest of such member in the share capital of the society by paying for it at the value determined in the manner as may be prescribed.

(2) A member whose business is in conflict or competition with the business of the society, or who has not attended the general body meeting without any reasonable excuse for three consecutive years or who has been persistently defaulting payment of his dues or has been failing to comply with the provisions of the bye-laws, if any, regarding minimum essential utilisation of the services of the society or regarding other dealings with the society or who, in the opinion of the committee, has brought disrepute to the society or has done other acts detrimental to the interests or proper working of the society, may after giving him an opportunity of representing his case before the general body called for the purpose, be removed or expelled from membership by a special resolution passed in such general body meeting in the prescribed manner.

17. नाममात्र का तथा सहयुक्त सदस्य— (1) धारा 15 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई सहकारी सोसाइटी-

(i) व्यक्तियों के किसी विहित वर्ग या विहित किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी स्वसाहाय्य समूह को नाममात्र के सदस्य के रूप में; या

(ii) सोसाइटी के किसी विहित वर्ग के किसी सदस्य की पत्नी/पति को सहयुक्त सदस्य के रूप में,

सम्मिलित कर सकेगी।

(2) नाममात्र का या सहयुक्त सदस्य न तो सोसाइटी की आस्तियों या लाभों में किसी भी प्रकार के किसी भी शेयर का हकदार होगा, न उसे सोसाइटी के कार्यकलापों में मत देने का अधिकार होगा; किन्तु उसे किसी सदस्य के ऐसे अन्य अधिकार होंगे और वह ऐसे दायित्वों के अध्यधीन होगा जो इस अधिनियम, नियमों या सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट किये जायें और सदस्यता से संबंधित इस अधिनियम, नियमों और उपविधियों के समस्त उपबंध उस पर लागू होंगे।

17. Nominal and associate member.— (1) Notwithstanding anything contained in section 15, a co-operative society may admit —

(i) a prescribed class of persons or a prescribed local authority or a self help group, as a nominal member; or

(ii) the spouse of a member in a prescribed class of society, as an associate member.

(2) A nominal or an associate member shall neither be entitled to any share in any form whatsoever in the assets or profits of the society nor have any right to vote in the affairs of the society; but shall have such other rights of a member and be subject to such liabilities of a member as may be specified in this Act, rules or the bye-laws of the society and all the provisions of this Act, rules and the bye-laws relating to membership, shall apply to him.

18. देय का संदाय न किये जाने तक सदस्य द्वारा अधिकारों का प्रयोग न किया जाना— सहकारी सोसाइटी का कोई भी सदस्य, सदस्य के अधिकारों का प्रयोग तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसने सोसाइटी को सदस्यता के संबंध में ऐसे संदाय न कर दिये हों या सोसाइटी में ऐसा हित अर्जित न कर लिया हो जो उपविधियों में विनिर्दिष्ट किया जाये।

18. Member not to exercise rights till due payment made.— No member of a co-operative society shall exercise the rights of a member unless he has made such payments to the society in respect of membership or has acquired such interest in the society, as may be specified in the bye-laws.

19. सदस्यों के मत— किसी सोसाइटी के, नाममात्र के और सहयुक्त सदस्य से भिन्न, प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का हक होगा।

19. Votes of members.— Every member, other than a nominal and an associate member, of a co-operative society, shall be entitled to cast one vote.

20. मत प्रयोग की रीति— (1) सहकारी सोसाइटी का प्रत्येक सदस्य अपने मत का व्यक्तिशः प्रयोग करेगा और किसी भी सदस्य को परोक्षी से मत देने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,-

(क) किसी सहकारी सोसाइटी का, जो किसी अन्य सहकारी सोसाइटी का सदस्य हो, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के अध्यधीन रहते हुए, उस अन्य सोसाइटी के कार्यकलाप में उसकी ओर से मत देने के लिये प्रतिनिधित्व उसके अध्यक्ष द्वारा या, उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा;

(ख) जहां सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकारी या कोई निकाय किसी सहकारी सोसाइटी का सदस्य है वहां वह ऐसी सोसाइटी के कार्यकलापों में अपनी ओर से मत देने के लिए कोई प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट कर सकेगा।

20. Manner of exercising votes.— (1) Every member of a co-operative society shall exercise his vote in person and no member shall be permitted to vote by proxy.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where —

(a) a co-operative society is a member of another co-operative society, its Chairperson or, in his absence Vice-Chairperson shall, subject to any rules made under this act, represent to cast vote on its behalf in the affairs of their another society;

(b) the Government or a local authority or a body is a member of a co-operative society, it may nominate a representative to cast vote on its behalf, in the affairs of such society.

21. शेयर धारण करने पर निर्बन्धन— किसी सहकारी सोसाइटी का व्यष्टिक सदस्य सोसाइटी की कुल शेयर पूँजी के अधिकतम पांचवें भाग तक ही शेयर धारण कर सकेगा।

21. Restriction on holding of shares.— An individual member in a co-operative society shall hold shares only upto a maximum of the one-fifth of the total share capital of the society.

22. सदस्य की मृत्यु पर हित का अन्तरण— (1) किसी सहकारी सोसाइटी के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर सोसाइटी, मृत सदस्य का शेयर या हित नियमों के अनुसार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों को या यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकार नामनिर्दिष्ट नहीं किया गया है तो, ऐसे व्यक्ति को, जो समिति को मृत सदस्य का वारिस या विधिक प्रतिनिधि प्रतीत हो, अन्तरित करेगी और जहां दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य उत्तराधिकार का कोई विवाद हो, समिति ऐसे दावेदारों से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी :

परन्तु ऐसे नामनिर्देशिती, वारिस या, यथास्थिति, विधिक प्रतिनिधि को सोसाइटी के सदस्य के रूप में सम्मिलित कर लिया जाता है:

परन्तु यह और कि इस उप-धारा में की कोई बात किसी अवयस्क या किसी विकृतचित्त व्यक्ति को किसी सहकारी सोसाइटी में मृत सदस्य के शेयर या हित विरासत द्वारा या अन्यथा अर्जित करने से नहीं रोकेगी।

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई भी नामनिर्देशिती, वारिस या, यथास्थिति, विधिक प्रतिनिधि मृत सदस्य के शेयर या हित के नियमों के अनुसार अभिनिश्चित मूल्य का संदाय स्वयं को किये जाने की सोसाइटी से अपेक्षा कर सकेगा।

(3) जहां ऐसा नामनिर्देशिती, वारिस या, यथास्थिति, विधिक प्रतिनिधि उप-धारा (1) के अधीन सोसाइटी के सदस्य के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाता है वहां सोसाइटी मृत सदस्य को सोसाइटी द्वारा देय अन्य समस्त धन उसे संदत्त करेगी।

(4) किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा इस धारा के उपबंधों के अनुसार किये गये समस्त अन्तरण और संदाय, किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा सोसाइटी से की गई किसी मांग के विरुद्ध विधिमान्य और प्रभावी होंगे।

22. Transfer of interest on death of member.— (1) On the death of a member of a co-operative society, the society shall transfer the share or interest of the deceased member to the person or persons nominated in accordance with the rules,

or if no person has been so nominated, to such person as may appear to the committee to be the heir or legal representative of the deceased member and where there is any dispute of succession between two or more persons, the committee may require the claimants to produce the succession certificate :

Provided that such nominee, heir or legal representative, as the case may be, is admitted as a member of the society :

Provided further that nothing in this sub-section shall prevent a minor or a person of unsound mind from acquiring by inheritance or otherwise the share or interest of a deceased member in a co-operative society.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), any such nominee, heir or legal representative, as the case may be, may require the society to pay him the value of the share or interest of the deceased member ascertained in accordance with the rules.

(3) Where such nominee, heir or legal representative, as the case may be, is not admitted as a member of the society under sub-section (1), the society shall pay him all other moneys due to the deceased member from the society.

(4) All transfer and payments made by a co-operative society in accordance with the provisions of this section shall be valid and effectual against any demand made upon the society by any other person.

23. भूतपूर्व सदस्य और मृत सदस्य की सम्पदा का दायित्व— (1) उप-धारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सोसाइटी के ऐसे ऋणों के लिए जो-

(क) किसी भूतपूर्व सदस्य की दशा में, उस तारीख को विद्यमान थे जिसको उसकी सदस्यता समाप्त हुई; और

(ख) किसी मृत सदस्य की दशा में, उसकी मृत्यु की तारीख को विद्यमान थे,

किसी सहकारी सोसाइटी के किसी भूतपूर्व सदस्य का या किसी मृत सदस्य की सम्पदा का दायित्व दो वर्ष की कालावधि तक बना रहेगा।

(2) जब किसी सहकारी सोसाइटी के परिसमापन का आदेश धारा 61 के अधीन किया जाये तब ऐसे किसी भूतपूर्व सदस्य का या मृत सदस्य की सम्पदा का दायित्व, जो परिसमापन के आदेश की तारीख

से ठीक पूर्ववर्ती दो वर्षों के भीतर-भीतर सदस्य न रहा हो या मर गया हो, उस समय तक बना रहेगा जब तक कि समापन की समस्त कार्यवाहियां पूरी न हो जायें, किन्तु ऐसा दायित्व सोसाइटी के केवल ऐसे ऋणों के लिए होगा जो उसकी सदस्यता की समाप्ति की तारीख को या, यथास्थिति, उसकी मृत्यु की तारीख को विद्यमान थे।

23. Liability of past member and estate of deceased member.— (1) Subject to the provisions of sub-section (2), the liability of a past member or of the estate of a deceased member of a co-operative society for the debts of the society as they existed—

(a) in the case of a past member, on the date on which he ceased to be a member, and

(b) in the case of a deceased member, on the date of his death, shall continue for a period of two years.

(2) Where a co-operative society is ordered to be wound up under section 61, the liability of a past member or of the estate of a deceased member who ceased to be a member or died within two years immediately preceding the date of order of winding up, shall continue until the entire liquidation proceedings are completed, but such liability shall extend only to the debts of the society as they existed on the date of his ceasing to be a member or the date of his death, as the case may be.

❑ ❑